



Neutral Citation No.- 2026:AHC:21024

आदेश सुरक्षित: 11.12.2025

डिलीवरी की तारीख: 30.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 12190 वर्ष 1984

गिरीश कुमार

याचिकाकर्ता

बनाम

डीडीसी और अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील

: श्री। अनिल कुमार आदित्य

प्रतिवादी के वकील

: श्री। राज कुमार, श्री राजेश कुमार
तिवारी, अतिरिक्त सीएससी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार आदित्य, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त सीएससी श्री राजेश कुमार तिवारी की दलीलें सुनीं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विवाद इलाहाबाद जिले के गंभीरपुरा गांव में स्थित खाता संख्या 183 से संबंधित है। समेकन प्रक्रिया के मूल वर्ष में, उपर्युक्त खाता संख्या 183

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रतिवादी संख्या 2/छत्रपाल और प्रतिवादी संख्या 3/लल्लू के नाम पर दर्ज किया गया था। विवादित खाते की मूल वर्ष की प्रविष्टि के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश समेकन अधिनियम, 1953 (जिसे आगे "यूपीसीएच अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 के तहत आपत्ति दर्ज की, जिसमें कहा गया कि विवादित खाता आनंदी कुंवर का है और याचिकाकर्ता, मृतक आनंदी कुंवर की पुत्री होने के नाते, छत्रपाल और लल्लू के स्थान पर खाता दर्ज होने का हकदार है। समेकन अधिकारी के समक्ष तीन मुद्दे निर्धारित किए गए और पक्षों ने मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। उनके मुकदमों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। समेकन अधिकारी ने दिनांक 26.5.1979 के आदेश द्वारा आपत्ति स्वीकार कर ली और मृतक आनंदी कुंवर के पुत्र पुत्री याचिकाकर्ता का नाम छत्रपाल और लल्लू के स्थान पर दर्ज करने का निर्देश दिया। समेकन अधिकारी के दिनांक 26.5.1979 के आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने यूपीसीएच अधिनियम की धारा 11(1) के अंतर्गत समेकन बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष अपील दायर की। उक्त अपील की सुनवाई सहायक समेकन बंदोबस्त अधिकारी, इलाहाबाद ने की, जिन्होंने दिनांक 27.6.1981 के आदेश द्वारा अपील स्वीकार कर ली, समेकन अधिकारी के दिनांक 26.5.1979 के आदेश को निरस्त कर दिया और मूल वर्ष की प्रविष्टि को बरकरार रखा। दिनांक 26.5.1979 के अपीलीय आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने यूपीसीएच अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत उप-निदेशक समेकन के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका पर उप संकुलन निदेशक ने 28.5.1984 के आदेश द्वारा सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। अतः, निम्नलिखित राहतों के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"1. याचिका के प्रतिवादी संख्या 1 और 4 (अनुलग्नक संख्या 2 और 1) द्वारा दिनांक 27.6.1981 और 28.5.1984 को पारित आदेशों को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायाधीश की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

2. याचिकाकर्ता के विवादित खाते पर शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने का आदेश देने हेतु परमादेश रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. इस न्यायालय ने 11.9.1984 को रिट याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया।

4. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.9.1984 को पारित आदेश के अनुसरण में, पक्षों ने अपने-अपने निवेदन प्रस्तुत किए हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समेकन अधिकारी ने मुद्दों को निर्धारित करने और पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह माना कि याचिकाकर्ता आनंदी कुंवर के पुत्री होने के नाते विवादित खाते पर दर्ज होने का हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि तुलसीपुर का विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र/रजिस्टर समेकन अधिकारी के समक्ष विधिवत सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए समेकन अधिकारी ने इसे ध्यान में नहीं लिया, लेकिन समेकन के बंदोबस्ती अधिकारी ने अस्वीकार्य साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा उठाया गया यह तर्क कि धनपतिया आनंदी कुंवर की बहन है और सावित्री धनपतिया की पुत्री है, धारा 34 के तहत कार्यवाही में तहसीलदार के समक्ष नहीं उठाया गया था।

उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के अनुसार, इस मामले को समेकन न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रय विलेख में उल्लिखित बातों को समेकन अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता को यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत कार्यवाही में उसके कानूनी अधिकार से वंचित करने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि 1333 फसली और 1348 फसली की प्रविष्टियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि विवादित खाता आनंदी कुंवर का स्व-अधिग्रहण था और आनंदी कुंवर के पति 1333 फसली में जीवित थे तथा आनंदी कुंवर के पति की मृत्यु 1348 फसली से पहले हो चुकी थी। उन्होंने आगे कहा कि समेकन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कुटुंब रजिस्टर से यह सिद्ध होता है कि याचिकाकर्ता सावित्री देवी का पुत्र है और सावित्री देवी आनंदी कुंवर की पुत्री हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुटुंब रजिस्टर में की गई कटिंग पर किसी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, अतः पारिवारिक रजिस्टर में की गई कटिंग को ध्यान में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने निवेदन किया कि समेकन अधिकारी का आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया था, अतः उसे बरकरार रखा जाना चाहिए और समेकन के बंदोबस्ती अधिकारी का आदेश भी मान्य होना चाहिए। उप समेकन निदेशक के आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का हवाला दिया:-

- (i) 2014 (122) आरडी 714, श्रीमती परवीन बेगम और अन्य बनाम अतिरिक्त कलेक्टर और अन्य।
- (ii) 2002 (93) आरडी 1, सालिक और अन्य बनाम समेकन के अतिरिक्त निदेशक और अन्य।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आनंदी कुंवर का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, अतः याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के स्थान पर दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को इस प्रकार दर्ज करने का आदेश दिया गया था। भूमिधर उन्होंने आगे बताया कि विवादित खाते का संबंध संबंधित ग्राम के समेकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही स्थापित हो चुका था। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का प्रवेश समेकन प्रक्रिया के मूल आदेश तक जारी रहा। उन्होंने यह भी कहा कि समेकन अधिकारी ने यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से शीर्षक अपील दायर की गई थी, जिसे समेकन बंदोबस्ती अधिकारी ने सही ठहराया है और उप-निदेशक समेकन द्वारा पुनरीक्षण में अपीलीय आदेश को सही ठहराया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सहायक समेकन बंदोबस्ती अधिकारी ने कथित साक्ष्य के महत्व पर चर्चा की है। कुटुंब रजिस्टर और यह तथ्य दर्ज किया गया कि कथित कुटुंब रजिस्टर यह विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसे मामले के प्रयोजनों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलीय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय दोनों ने विवादित आदेश पारित करते समय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर पूरी तरह से विचार किया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा विवादित अपीलीय आदेश/पुनरीक्षण आदेश के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने शुरू से ही यह रख अपनाया है कि धनपतिया आनंदी कुंवर और सावित्री देवी की बहन धनपतिया की पुत्री थीं। उन्होंने निवेदन किया कि अपीलीय आदेश और पुनरीक्षण आदेश दोनों में कोई अवैधता नहीं है, अतः किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि विवादित खाते पर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम समेकन प्रक्रिया के मूल वर्ष में दर्ज किया गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत दायर की गई स्वामित्व आपत्ति को समेकन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के स्थान पर विवादित खाते पर याचिकाकर्ता का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया था और समेकन अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया गया था तथा मूल वर्ष की प्रविष्टि को बरकरार रखा गया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को उप-निदेशक, समेकन द्वारा खारिज कर दिया गया है।

9. इस मामले में निहित विवाद को समझने के लिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के अनुसार, पुनरीक्षण आदेश में उल्लिखित पारिवारिक वंशावली का अवलोकन प्रासंगिक

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

है, जो इस प्रकार है:-

याचिकाकर्ता के अनुसार पारिवारिक वंशावली इस प्रकार है:-

कुंजबिहारी
|
आनंदी कुंवर (महिला)
|
सावित्री (पुत्री)
|
गिरीश

प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के अनुसार पारिवारिक वंशावली इस प्रकार है:-

धनपति या

हरिशंकर (पति)

मशिया

सावित्री

साविग

आनंदीकुंवर

कुंज बिहारी (पति)

10. समेकन अधिकारी द्वारा निर्धारित तीन मुद्दों का अवलोकन करना भी प्रासंगिक होगा, जो इस प्रकार हैं:

1. क्या वादी विववाविदत भूवि) का तन स्वा)में है।
2. क्या खाते) ें विववाविदत भूवि)) ें प्रतिवादी का ना)निःशुल्क9 दर्जी: है ।
3. क्या प्रतिवादी विववाविदत भूवि) के तन स्वा)में है।

11. समेकन अधिकारी ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह तथ्य दर्ज किया कि सावित्री देवी, आनंदी कुंवर और कुंज बिहारी की पुत्री थीं और याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता/गिरीश कुमार, सावित्री देवी (आनंदी कुंवर की पुत्री) के पुत्र हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता/गिरीश कुमार, आनंदी कुंवर के उत्तराधिकारी के रूप में खाता संख्या 183 पर अपना नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। समेकन अधिकारी ने 1321 फसली,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

1333 फसली, 1348 फसली, 1363-1365 फसली, 1377-1379 फसली, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर आदि की प्रविष्टियों पर विचार किया है। समेकन अधिकारी ने यह तथ्य भी दर्ज किया है कि जब यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-ए(2) के तहत कार्यवाही/मामला समेकन अधिकारी के समक्ष लंबित था, तब धनपतिया जीवित थे, लेकिन समेकन अधिकारी के समक्ष धनपतिया की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, अतः प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा। समेकन के बंदोबस्ती अधिकारी ने समेकन अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से पारित आदेश को रद्द कर दिया है। यह पाते हुए कि खाता संख्या 183 के आधे हिस्से के संबंध में विक्रय विलेख याचिकाकर्ता/आपत्तिकर्ता/गिरीश कुमार के पक्ष में निष्पादित किया गया था, इसलिए वह खाता संख्या 183 में शेष आधे हिस्से के लिए अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जो कि समेकन के बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार का उचित प्रयोग नहीं है।

12. याचिका के अनुलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न उद्दिन बुजुर्ग ग्राम के कुटुंब रजिस्टर की प्रति से यह सिद्ध होता है कि सावित्री हरिशंकर के परिवार की सदस्य नहीं थीं, अतः उन्हें हरिशंकर की पुत्री नहीं माना जा सकता। 1.8.1975 को समेकित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत और याचिका के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न गंभीरपुरा ग्राम के कुटुंब रजिस्टर का भाग-1 यह दर्शाता है कि आनंदी कुंवर कुंजबिहारी की पत्नी थीं और कैलाश नाथ की पत्नी सावित्री आनंदी कुंवर की पुत्री थीं, तथा विनोद और गिरीश आनंदी कुंवर के पुत्र थे। 1333 फसली की खाताउनी से यह सिद्ध होता है कि विवादित खाता आनंदी कुंवर का स्व-अर्जित था। अतः, याचिकाकर्ता के पक्ष में विवादित खाते के आधे हिस्से की विक्रय विलेख का निष्पादन मात्र, साथ ही इस तथ्य का उल्लेख कि आनंदी कुंवर के वारिसों का विक्रय संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा, याचिकाकर्ता/गिरीश को आनंदी कुंवर के पुत्र/पुत्र के रूप में विधिवत अपना दावा प्रस्तुत करने से वंचित नहीं करता। समेकन के बंदोबस्त अधिकारी और उप-निदेशक ने गलत आधार पर समेकन अधिकारी के आदेश को अवैध रूप से रद्द कर दिया है।

13. एक बार यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता/गिरीश, आनंदी कुंवर का पुत्री-पुत्र है, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 174(ई) के प्रावधान के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पुत्री-पुत्र होने के दावे को समेकन अधिकारियों द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 171 और 172 के विपरीत, यदि महिला का कोई हित है, तो पुत्री-पुत्र को उत्तराधिकार प्रदान रता है।

14. समेकन के बंदोबस्त अधिकारी ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि सावित्री देवी के संबंध में कुटुंब रजिस्टर में की गई कटिंग पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सावित्री देवी आनंदी कुंवर की पुत्री नहीं थीं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

15. उप समेकन निदेशक ने समेकन अधिकारी द्वारा उचित तरीके से दर्ज किए गए तथ्यों पर विचार किए बिना अपीलीय आदेश को बरकरार रखा है।

16. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1/उप निदेशक, समेकन द्वारा दिनांक 28.5.1984 को पारित विवादित पुनरीक्षण आदेश और प्रतिवादी संख्या 4/सहायक बंदोबस्ती अधिकारी द्वारा दिनांक 27.6.1981 को पारित अपीलीय आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

17. याचिका स्वीकार की जाती है। समेकन अधिकारी का दिनांक 26.5.1979 का आदेश यथावत रखा जाता है।

18. मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026